# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2012 / जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 44 / 2009 बनवान मु0 राजकंवर वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07. 2010।

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।

**बनाम**

रेस्पोडेंटगण

1.मु.राजकंवर पत्नी श्री सवाईसिंह उम्र 70 वर्ष
2.गिरधरसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 55 वर्ष
3.रेवन्तसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 48
4.स्वरूपसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 45 वर्ष
5.मु.अन्नेकंवर पत्नी नरपतसिंह उम्र 68 वर्ष
6.मु.अन्नेकंवर पत्नी उगमसिंह उम्र 45 वर्ष
7.जेठमालसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 30 वर्ष
8.झबरसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 28 वर्ष
9.भगवानसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 26 वर्ष
10.महेन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 24 वर्ष
11.अभयसिंह पुत्र नरपतसिंह उम्र 24 वर्ष
12.दौलतसिंह पुत्र चनणसिंह उम्र 24 वर्ष
सर्वे जाति राजपूत निवासी झिनझिनयाली तहसील तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

दिनांकः— 15.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम झिनझिनयाली के खसरा संख्या 349 रकबा 1.00 बीघा गैर मु.ढाणी, कोटड़ी, खसरा संख्या 350 रकबा 11.00 बीघा गैर मु. ढाणी, खसरा संख्या 351 रकबा 85.05 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट / वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम झिनझिनयाली के खसरा संख्या 349, 350, 351

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रकबा क्रमशः 1, 1, 85.05 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 23.07.2010 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि समरी सेटलमेंट के रेकर्ड को संधारण करने का काम सेटलमेंट अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का था जिन्होने पूर्व में चंदनसिंह के पुत्रों सवाईसिंह व दौलतसिंह के नाम की खातेदारी दर्ज की तथा बाद में चंदनसिंह स्वय के नाम से वर्तमान खसरा संख्या 349 ,350 खातेदारी दर्ज की तथा खसरा संख्या 351 रकबा 85.05 बीघा में चंदनसिंह को ट्रेस पासर घोषित कर दिया तथा बाद सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा संख्या 349, 350 को काटकर सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट/वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीयों टांके कोटडी बने हुए तथा रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि :–

भू–प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम झिनझिनयाली तहसील फतेहगढ़ का संवत 2021 का तैयार खसरा (EXP-20) स्पष्ट करता है कि खसरा संख्या 347 रकबा 2 बीघा गैर मुमकिन पायतन, खसरा संख्या 348 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन टांका में चनणसिंह वल्द जानसिंह को खातेदार अंकित किया। इसी प्रकार खसरा संख्या 349 व 350 में रकबा क्रमशः 0.01 बीघा व 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन मकान तथा गैर मुमकिन ढाणी की चनणसिंह वल्द जानसिंह के नाम खातेदार रूप मे प्रविष्टि करने के पश्चात कांटकर सिवायचक दर्ज कर नोट लगाया गया कि **"नोट देखो खसरा संख्या 210 पर"**। खसरा संख्या 210 पर लगाए गये नोट के संबंध में भी केवल SO जोधपुर के आदेश का हवाला है परन्तु ऐसा करने के आधार एवं कारण तथा अधिकारिता बाबत कोई उल्लेख इसमें नहीं है। खसरा संख्या 351 (खियाला वालो) रकबा 85.05 बीघा बारानी दोयम–(EXP-12) में चनणसिंह वल्द जानसिंह को खातेदार रूप में उल्लिखित किया है जिसमें न तो प्रविष्टि काटी गई है और न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

सिवायचक अंकित किया गया है। रिकॉर्ड पर इसकी प्रविष्टि जमाबंदी में नहीं की जाने बाबत कोई ठोस कारण दर्शित नही होता है न ही इसको सिवायचक दर्ज करने का कोई आदेश ही पाया गया है। इस खसरे को SO जोधपुर के आदेशवाले खसरा संख्या 210 के सामने अंकित नोट में भी शुमार नहीं किया गया है। इस खसरे पर संवत 2038 से रेस्पोडेंटस की खसरा परिवर्तनशील में प्रविष्टियां है जो संवत 2045 तक की रिकॉर्ड पर उपलब्ध है जो इनका पुराना कब्जा काश्त साबित करता है। वक्त सेटलमेंट विद्यमान मकानात के मालिक किशनसिंह के पक्ष में की गई गैर मुमकिन ढाणी, मकान आदि की प्रविष्टि को काटकर सिवायचक दर्ज करना कतई न्यायसंगत नहीं है। अतः सेटलमेंट की प्रविष्टि यथावत मानी जाकर इन खसरों पर रेस्पोडेंटस के पक्ष में की गई खातेदारी अधिकारों की घोषणा विधिसम्मत एवं न्यायोचित ठहरती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित जो अपीलाधीन निर्णय दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार की दखंलदाजी की गुंजाईश नहीं है।

अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2009 बअनवान मु0 राजकंवर वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2010 को यथावत रखा जाता है।

15/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

15/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner